THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) and (b) The Children's Film Society's India (now called the National Centre of Films for Children and Young People or N'CYP in short) has been set up for promoting children's films. The N'CYP looks after production as well as exhibition of films through theatres, schools and TV. Apart from producing films, N'CYP also obtains rights of certain good foreign films which suit the requirement of Indian children and arranges for their dubbing in Indian Languages and exhibition in the country. Till date, N'CYP has produced 101 feature films and 60 short/animation films. Films certified as children's films by the Central Board of Film Certification are normally exempted from entertainment tax by the State Governments and Union Territory Administrations. Awards have been instituted at National and State levels to encourage production of children's films. The N'CYP also organises international film festival of films for children and young people in alternate years, thus providing an exposure to Indian producers and viewers to high quality children's films.

The N'CYP assigns the production of children's films on contract basis to outside producers and finances the production of such films. In-house production facilities to bring down the cost of production are also provided to the extent possible.

वर्ष 1995-96 के दौरान विश्व बैंक द्वारा ऋण

2272. **श्री एच॰ एच॰ चुरजेवाला :**
श्री अजीत जोगी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान विश्व बैंक द्वारा देश को कुल कितना ऋण प्रदान किया गया;

(ख) उपर्युक्त ऋण का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण की पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सरकार को ऋण की धनराशि को निर्धारित परियोजना के लिये उपयोग नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(छ) क्या वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 में ऋण की धनराशि को बढ़ा दिया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के दौरान विश्व बैंक द्वारा प्रदान किए गए नए ऋणों/उधारों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

परियोजना	आई॰डी॰ए॰	आई॰बी॰आर॰डी॰
1. तमिलनाडु डब्ल्यू॰आर॰एस॰पी॰	282.90	-
2. जलविज्ञान	142.00	-
3. दूसरा मद्रास डब्ल्यू॰आर॰	-	275.80
4. उड़ीसा डब्ल्यू॰ आर॰एस॰पी॰	290.90	-
5. बम्बई मलजल निकासी	25.00	167.00
6. कृषि एक्स॰आर॰डी॰	59.50	-
7. असम ग्रामीण आधारभूत संरचना और कृषि	126.00	-
	926.30	442.80

आई॰ बी॰ आर॰ डी॰ ऋण, जिनका पुनर्भुगतान 5 वर्ष की छूट अवधि सहित 20 वर्ष में किया जाना है, पर ब्याज की दर अर्धवार्षिक संशोधनों सहित परिवर्तनीय है, जो वर्तमान में 7.1 प्रतिशत प्रतिवर्ष है। वर्तमान में अवंवितरित शेष पर वचनबद्धता प्रभार 0.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष है।

उधारों के रूप में ज्ञात आई॰डी॰ए॰ सहायता, का पुनर्भुगतान 35 वर्ष जिसमें 10 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है, में किया जाना है और जिस पर कोई ब्याज नहीं लगता है, लेकिन इस उधार के संवितरित भाग पर 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार के रूप में लगाया गया है। वर्तमान में अवंवितरित शेष पर वचनबद्धता प्रभार शून्य है।

(ग) और (घ): इन राशियों का संवितरण परियोजना चक्र कार्यान्वयन अनुसूची पर निर्भर करता है, जो सामान्यतः 5 से 7 वर्ष हैं इसलिए, 1995-96 में वचनबद्ध परियोजनाओं के लिए प्रदान की गई राशि का 5 से 7 वर्ष में उपयोग किया जाएगा।

(ङ) और (च) इस ऋण की राशि का उपयोग निर्धारित की गई परियोजनाओं के लिए किया जाएगा और विश्व बैंक किए गए व्यय की राशि की वापसी

केवल तभी करेगा जब वे इस परियोजना के अन्तर्गत योग्य होंगे। यह प्रणाली विश्व बैंक ऋण के दुरूपयोग में बाधा उत्पन्न करेगी।

हालांकि, कुछ ऐसी परियोजनाएं भी हैं, जहां विश्व बैंक का धीमा उपयोग हो रहा है। जिसके कारण अपर्याप्त [illegible] और पूरक निधि-व्यवस्था अधिप्राप्ति और [illegible] विलम्ब, प्रारंभिक और अन्य प्रक्रियात्मक विलम्ब हैं।

विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, 100 प्रतिशत अतिरिक्तता के रूप में जारी करना, राज्यों को अग्रिम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी करना, बोली दस्तावेजों का मानकीकरण और प्रबंध प्रक्रिया का सरलीकरण, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को विदेशी सहायता के प्रवाह में से मध्यस्थों को हटाना, आर्थिक कार्य विभाग में परियोजना प्रबंध इकाई की स्थापना और पोर्टफोलियों पुनर्गठन आदि कुछ ऐसे कदम हैं जो सहायता के उपयोग में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए हैं।

(छ) 1994-95 में विश्व बैंक द्वारा भारत को दिए जाने वाले ऋण/उधारों की वचनबद्धता की कुल राशि 1914 मिलियन अमरीकी डालर थी, जबकि 1995-96 में यह 1369 मिलियन अमरीकी डालर थी।

Opening of a Branch office or Registrar of Companies at Nagpur

2273. **SHRI SURINDER KUMAR SINGLA:**
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a branch office of the Registrar of Companies will be opened at Nagpur;

(b) if so, by when it is likely to be opened;

(c) how many companies in Nagpur are to be allotted to the proposed office;

(d) whether the office willl be cost effective;

(e) whether there is demand for such office; and

(f) if so, what steps will be taken in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM) : (a) to (f) Government recognise the need for opening additional offices of Registrars of Companies in the State of Maharashtra. Requests for such an Office in Nagpur were received. However, no final decision has been taken regarding opening of additional offices or their locations and jurisdictions.

Circular regarding allowances/benefits in RRBs

2274. SHRI E. BALANADAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that changes at periodical intervals in respect of allowance/ benefits mentioned NGOI ciruclar dated 22.2.1991 and NABARD circular dated 20.3.1993 are effective in Regional Rural Banks on the pattern of sponsoring banks without any further references to GOI/NABARD as per NABARD circular no. C.4559/316/(Gen)-92/ 93 datd 20.3.1993;

(b) if so, why these allowances/benefits are not allowed in Gurgaon Gramin Bank, Haryana on par with their sponsoring bank;

(c) what actions has been taken for the compliance of NABARD circular dated 20.3.1993?

THE FINANCE MINISTER (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Regional Rural Banks (RRBs) have been advised by circular dated 20.03.1993 issued by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) that whenever the allowances like dearness allowance, travelling/diem allowances, reimbursement of expenses on travel and reimbursement of actual expenses incurred for official duties covered under the Officer's Service Regulations and Bipartite Settlements of sponsor banks, undergo changes at periodical intervals, the RRBs can effect the necessary changes without further reference to Government of India/NABARD.

These instructions related to periodic revisison in allowances of employees of sponsor banks within the framework of the Officer's Service Regulations and Bipartite Settlement in force at that time (i.e. 20.03.1993) and extension of such revision to the employees of RRBs. However, any revision/ changes in allowances to employees in sponsor banks as a part of fresh wage package would not become applicable to RRBs without further